हमने पूर्व में आप सभी को अवगत क हमने MEIS पर अपडेट भी तैयार किया था जिसमें आपको इसके बारे में पूरी तरह से बताया गया था। हमने अपने इंग्लिश के अपडेट में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से संबंधित भी बदलाव हुए भी बताए थे। इन बदलावों में एक महत्वपूर्ण बदलाव था की Foreign Trade Policy 2015-2020, जो 31.3.2020 को समाप्त होने वाली थी, को 1 साल के लिए बढ़ाकर 31.3. 2021 तक इसकी अवधि कर दी गई है।

इस पर एक संशय खड़ा हो गया की अगर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को 1 साल के लिए बढ़ाया गया है, तो क्या MEIS जोकि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 का ही एक भाग है, यह भी 1 साल के लिए स्थगित हो जाएगी? DGFT ने एक ट्रेड नोटिस नंबर 03/2020-21 दिनांक 15/04/2020 जारी किया तथा बताया कि की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ही 1 साल के लिए एक्सटेंड की गई है परंतु MEIS 31/12/2020 तक ही मान्य होगी।

इनके साथ ही सरकार ने एक नई स्कीम RoDTEP भी लागू की थी जोकि 1 अप्रैल 2021 से लागू होने वाली थी। परंतु Lockdown की स्थिति को देखते हुए यह लागू नहीं हो पाई। इसी कारण MEIS को 31/12/2020 तकआगे किया गया। अब सरकार ने कहा है कि जो वस्तुएं अथवा HSN कोड MEIS के शेड्यूल में शामिल है उन पर ही MEIS मिलेगा। जैसे ही यह नई स्कीम में शामिल होते हैं वैसे ही वह वस्तुएंअथवा HSN code MEIS में से हटा दी जाएंगी। जिसका अर्थ यह हुआ इन दोनों स्कीम में एक साथ लाभ नहीं मिल सकता है।

इस सर्कुलर में यह भी बताया गया है कि नई स्कीम RoDTEP मैं आवेदन करने का प्रोसीजर भी जल्दी बताया जाएगा। इससे यह पता लगता है कि नई स्कीम में आवेदन करने का प्रोसीजर अभी तक तैयार नहीं है इसीलिए MEIS को 31/12/2020 तक स्थगित किया गया है।

This is solely for educational purpose.

You can reach us at www.capradeepjain.com, at our facebook page on https://www.facebook.com/GSTTODAYBYPRADEEPJAIN/as well as follow us on twitter at https://www.twitter.com/@capradeepjain21.